

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या  
12/57/2024

रजि० नं०  
2024/33

प्रवेश तिथि  
12.06.2024

निर्णय दिनांक  
04.12.2024

1- लाल सिंह पुत्र झूथरिया उर्फ झूथाराम जाति अहीर निवासी ग्राम दाधिया तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्त

बनाम

1- तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉण्डेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल.आर. एक्ट मुकदमा संख्या 281/2023 निर्णय दिनांक 21.02.2024

उपस्थित-

01. श्री सतीश यादव, अनिल गुप्ता

-वकील अपीलान्त

-:निर्णय:-

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 281/2023 निर्णय दिनांक 21.02.2024 जिसके द्वारा आराजी खसरा 57 रकबा 0.06 है० किस्म गैरमुमकिन रास्ता की भूमि में से रकबा 0.01 है० में मिट्टी की डोल लगा कर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध मौके से बैदखली /पैलन्टी की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉण्डेन्ट को जर्जे नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में निवेदन किया है, कि पटवारी हल्का गादूवास तह० मुण्डावर द्वारा मौका की गलत रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष पेश की गई कि खसरा नम्बर 57 रकबा 0.06 है० गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर के 0.01 है० रकबा पर लालसिंह पुत्र झूथरिया उर्फ झूथाराम जाति अहीर निवासी दाधिया ने मिट्टी की डोल लगाकर कब्जा/अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 एल०आर०एक्ट 1956 के तहत प्रकरण सं० 281/2023 दर्ज कर, अपीलान्त/अतिक्रमी को धारा 91 एल०आर०एक्ट का नोटिस जारी किया गया। अपीलान्त द्वारा बाद तामिल अधिनस्थ न्यायालय में मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया कि मिन अपीलान्त द्वारा आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 0.06 है० गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर में से 0.01 है० भूमि पर मिट्टी की डोल लगाकर या अन्य किसी प्रकार भी अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, बल्कि वास्तविकता यह है, कि मिन अपीलान्त की आराजी खसरा नम्बर 60, 61, 58, 56, 59 के दक्षिण-पूर्व कोने पर व खसरा नम्बर 53,

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
खैरथल-तिजारा

दक्षिण - पूर्व कोने पर व खसरा नम्बर 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

54, 55 के पूर्व में बंजड व बंजड़ के बाद रास्ता आराजी खसरा नम्बर 57 स्थित है। जिस रास्ते के पश्चिम में बंजड स्थित है, तथा रास्ते के पूर्व में भी बंजड स्थित है। खसरा नम्बर 393, 394, 395 के खातेदारों ने रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 57 व बंजड भूमि को दबाते हुए अतिक्रमण कर रखा है। जो रिपोर्ट हल्का पटवारी व टीम द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गादूवास द्वारा रंजिश वश एकतरफा में पैमाईश कर मिन अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई है। मिन अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 एल०आर०एक्ट की गलत कार्यवाही की गई है। आराजी खसरा न० 57 व खसरा नम्बर 60, 61, 58, 56, 59, 54, 55 व 393, 394, 395 वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर की मुन्तकिल बिन्दू से निष्पक्ष पैमाईश कराकर सीमाज्ञान कराया जावे व रास्ते को कायम किया जावे अगर मिन प्रार्थी का रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 57 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है, तो मिन प्रार्थी अतिक्रमण हटाने को तैयार है, साथ में दिगर लोगो द्वारा रास्ते की भूमि व बंजड पर किये गये अतिक्रमण को भी हटवाया जाकर सीमाज्ञान कराया जावे, तथा मौके पर 10 फुट चौड़ा रास्ता चालू है। जिसमें आने जाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, ना ही उक्त 10 फुट रास्ता में आवागमन में मिन अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की बाधा कारित की जावेगी। इस समय फसल खड़ी हुई है। माह अप्रैल मई में फसल कटने के बाद सीमाज्ञान की दूसरी टीम गठित कर निष्पक्ष पैमाईश करवाई जावे एवं मिन प्रार्थी के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही निरस्त की जाने का निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मिन अपीलान्ट द्वारा पेश जबाब नोटिस का बिना ध्यानपूर्वक अवलोकन किये ही पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को खसरा नम्बर 57 में से 0.01 है० गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्ट के विरुद्ध दिनांक 21.02.2024 को आदेश पारित किया गया है, तहत अदालत द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से मिन अपीलान्ट को व मेरे अधिवक्ता को अनुपस्थित दिखाकर आदेश पारित किया गया है। जबकि मिन अपीलान्ट हर पेशी पर तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होता था। मिन अपीलान्ट का अधिवक्ता भी तारीख नियत तारीख पेशी पर जाता था। लेकिन तारीख पेशी नोट करवा देते थे, और अपनी मनमर्जी से मिन अपीलान्ट व मेरे अधिवक्ता को अनुपस्थित दिखाकर यह आदेश पारित किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 57 गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 है० भूमि पर मिन अपीलान्ट के मिट्टी की डोल लगाकर कब्जा बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। जिस रिपोर्ट के खण्डन के लिए अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश अपने जबाब में साफ लिखा है, कि दूसरी टीम गठित कर खसरा नम्बर 57 व खसरा नम्बर 60, 61, 58, 56, 59, 54, 55 व 393, 394, 395 वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर की मुन्तकिल बिन्दू से निष्पक्ष पैमाईश करवाई जावे अगर खसरा नम्बर 57 में मेरा अतिक्रमण पाया जाता है, तो मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई गौर नहीं किया गया। ना ही मौके की न्यायहित में पुनः पैमाईश करवाई गई और पटवारी हल्का की पैमाईश के आधार पर आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने अपने जबाब में यह भी कथन किया था, कि मिन अपीलान्ट द्वारा रास्ता की भूमि पर कोई किसी प्रकार से अतिक्रमण किया हुआ नहीं है, बल्कि मिन प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 60, 61, 58, 56, 59 के दक्षिण-पूर्व कोने पर व खसरा नम्बर 53, 54, 55 के पूर्व में बंजड व बंजड़ के बाद रास्ता खसरा नम्बर 57 स्थित है। जिस रास्ते के पश्चिम में बंजड स्थित है। तथा रास्ते के पूर्व में भी बंजड स्थित है। खसरा नम्बर 393, 394, 395 के खातेदारों ने रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 57 व बंजड भूमि को दबाते हुए अतिक्रमण कर रखा है। इस ओर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो खिलाफ मौका खिलाफ कानून, नियम विरुद्ध होने के कारण अपास्त

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
खैरथल-तिजारा

क्रिये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2024 की जानकारी मिन अपीलान्त को व मेरे वकील साहब नहीं दी गई। लेकिन अब पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मिन अपीलान्त की मिट्टी की डोल जो मेरी खातेदारी की भूमि में स्थित है, को हटाने एवं पैलन्टी की राशि वसूल करने के लिए आया तब मैंने कहा कि मामला न्यायालय में चल रहा है। उसके निर्णय के बाद कोई कार्यवाही करना। पटवारी हल्का ने बताया कि निर्णय आपके विरुद्ध हो चुका है। निर्णय के बाद ही मुझे मिट्टी की डोल को हटाने का आदेश मिला है। इस पर उस समय तो मिन अपीलान्त ने मिट्टी की डोल नहीं हटाने दी और फिर मैं अपने वकील साहब से मिला तब वकील साहब ने जांच की तब उक्त आदेश का पता चला तो मिन अपीलान्त के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.05.2024 को आदेश की नकल के लिए आवेदन किया। जो नकल दिनांक 20.05.2024 को प्राप्त होने पर यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है, लेकिन फिर भी देरी के समय के मुजरा के अलए अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन है, कि अपील अपीलान्त अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2024 को निरस्त किया जावे।


हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्त की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्त ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश 21.02.2024 के विरुद्ध दिनांक 07.06.2024 को पेश की गयी है, जो करीब 5 माह पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2024 की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 19.05.2024 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्त अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्त का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 0.06 है० गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर मे से 0.01 है० भूमि पर मिट्टी की डोल लगाकर या अन्य किसी प्रकार भी अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, बल्कि मिन अपीलान्त की आराजी खसरा नम्बर 60, 61, 58, 56, 59 के दक्षिण-पूर्व कोने पर व खसरा नम्बर 53, 54, 55 के पूर्व में बंजड़ व बंजड़ के बाद रास्ता आराजी खसरा नम्बर 57 स्थित है। जिस रास्ते के पश्चिम में बंजड़ स्थित है, तथा रास्ते के पूर्व में भी बंजड़ स्थित है। खसरा नम्बर 393, 394, 395 के खातेदारों ने रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 57 व बंजड़ भूमि को दबाते हुए अतिक्रमण कर रखा है। जो रिपोर्ट हल्का पटवारी व टीम द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गादूवास द्वारा रंजिश वश एकतरफा में पैमाईश कर मिन अपीलान्त को तंग व परेशान करने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई है। मिन अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 एल०आर०एक्ट की गलत कार्यवाही की गई है। आराजी खसरा न० 57 व खसरा नम्बर 60, 61, 58, 56, 59, 54, 55 व 393, 394, 395 वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर की मुन्तकिल बिन्दू से निष्पक्ष पैमाईश कराकर सीमाज्ञान कराया जावे व रास्ते को कायम किया जावे अगर मिन प्रार्थी का रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 57 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है, तो मिन प्रार्थी अतिक्रमण हटाने को तैयार है, साथ में दिगर लोगो द्वारा रास्ते की भूमि व बंजड़ पर किये गये अतिक्रमण को भी हटवाया जाकर सीमाज्ञान कराया जावे, तथा मौके पर 10 फुट चौड़ा रास्ता चालू है। जिसमें आने जाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, ना ही उक्त 10 फुट रास्ता में आवागमन में मिन अपीलान्त द्वारा किसी प्रकार की बाधा कारित की जावेगी। इस समय फसल खड़ी हुई है। माह अप्रैल मई में फसल कटने के बाद सीमाज्ञान की दूसरी टीम गठित कर निष्पक्ष पैमाईश करवाई जावे हमने

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सैरथल-तिजारा

तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का गादूवास द्वारा अतिक्रमी/अपीलान्त के विरुद्ध ग्राम दाधिया की आराजी खसरा न0 57 रकबा 0.06 है0 किस्म गैरमुमकिन रास्ते की भूमि में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर मिटी की डोल लगा कर अवैध अतिक्रमण किये जाने पर दिनांक 10.10.2023 को धारा अन्तर्गत 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी। प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को जर्ने नोटिस तलब किया गया। अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष दिनांक 19.10.2024 को उपस्थित होकर जवाब /वकालतनामा पेश किया गया जो तहत पत्रावली में शामिल-मिशल है। अतिक्रमी/अपीलान्त द्वारा अपने जवाब में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया है तथा पुनः पैमायश किये जाने हेतु कथन किया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि नियमानुसार/विधिक प्रावधानुसार कृषक को अपनी आराजी की ही पैमायश किये जाने का प्रावधान है, अपीलान्त द्वारा अपनी आराजी की पैमायश करायी गयी हो का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष दिनांक 19.10.2023 के पश्चात उपस्थित ही नहीं हुआ न उनके वकील उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में प्रकरण में तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 21.02.2024 को विधिवत निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2024 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(शिवप्रसाद जिंदल)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
खैरथल-तिजारा  
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)